क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
...25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पत्रावली पुन: माजिद बहस मे दिनांक 14.7.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14.7.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की माजिद बहस सूनी गई वादअ धा. 53 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश। पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया डिक्री की प्रति तहसील दार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 26-8-25 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
26-8-25	पत्रावली आज पेश हुई श्री ... साहब आज दौरे पर पधारे है अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...... 1.10.25 को पेश की जावे	
1.10.25	पत्रावली आज पेश हुई [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक... 27.10.25 को [illegible] की जावे	
27.10.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेंगू के द्वारा फर्द बटवारा रिपोर्ट पेश कि गई जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट स्विकार कि जाती है, दावा आन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया डिक्री की प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा संख्या ::– 13/2020

1 शंभूलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2 रूगनाथ पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
3 नन्दकिशोर पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
4 मोडा पिता नारायण धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1 दिनेश पिता सुरेशचन्द्र धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2 सुनिता पिता सुरेशचन्द्र धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
3 मोडीबाई पत्नी सुरेशचन्द्र धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
4 रामचन्द्र पिता सेवा धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
5 नानीबाई पिता सेवा धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ(आदेश दिनांक 7.10.224 से तर्क किया)
6 कमला पिता सेवा धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
7 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री संजय शर्मा
अधिवक्ता प्रति.4

निर्णय दिनांक :– 27.10.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम ठुकराई पंचायत क्षैत्र ठुकराई तहसील बेगूँ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
388	0.4290
729	0.9140
879	0.5510
880	0.1860
973मी0	1.3990
1257	0.0730
1311	0.3640
1312मी.	0.0240
1419	0.1700
2307मी0	0.5990
योग किता–10	4.7090 हैक्टर

उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादी कमाक 1 से 3 का हिस्सा 1/4, वादी कमांक 4 का हिस्सा 1/4,प्रतिवादी सं0 1 से 3 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/20 एवं प्रतिवादीसं0 6 का हिस्सा 1/4 अंकित निहित होकर स्थित है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने हिस्सानुसार काबिज हो काश्त कर रहे है किन्तु खाता संयुक्त होने से फसल बोने काटने एवं अन्य कृषि कार्य करते समय सभी पक्षो में आपस में मनमुटाव होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से 6 को दिनांक 6.9.2019 को तहसील कार्यालय में चलकर बॅटवाडा कराने बाबत कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते विभाजन विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि उक्त कलम सं0 1 मे वर्णित आराजीयात में वादीगण का निहित हक हिस्सा वादीगण जरिये विभाजन पृथक करा खातेदारी में दर्ज कराने के विधिक अधिकारी होने से वादीगण का यह वाद उक्त आराजीयात का मौके पर काबिज अनुसार अच्छी से अच्छी एंव बुरी से बुरी का विभाजन कर खाता पृथक दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत हैं। वाद कारण दिंनांक 6.09.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन कराने की कार्यवाही में सहयोग करने से मना करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

वादीगण की न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीगण स्वीकार फरमा वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का उक्त वर्णित दर्ज हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी को जरिये विभाजन दर्ज करा राजस्व रेकार्ड में खाता पृथक दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण की जावें। अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो भी प्रदान कराई जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, प्रतिवादी सं0 4व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री संजयशर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए अदेशिका पर विभाजन कराने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित कर हस्ताक्षर किये। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 5 की मृत्यु होने व उनके वारिसान रिकोर्ड पर होने से उनका नाम दावा पत्रावली से तर्क किया जाने का आदेश दिया गया।

पत्रावली में वादी शंभुलाल पिता देवीलाल के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये, मुख्य परीक्षण में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श करा वादी ने अपने बयान पूर्ण कराये। पत्रावली मे साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पत्रावली में अधिवकता वादीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए वाद वादीगण का स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श– 1 का अवलोकन किया गया। मौजा ढुकराई प0ह0 ढुकराई के आराजी संख्या 388, 729, 879, 880, 973मी0,1257, 1311, 1312मी0, 1419, 2307 कीता–10 कुल रकबा 4.7090 हैक्टर भूमि में वादीगण क्रमांक 1 से 3 तक का हिस्सा 1/4, वादी क्रमांक 4 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 से 3 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/10,, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/20 एवं प्रतिवादी सं0 6 का हिस्सा 1/4 अंकित है। वादीगण अपने हिस्से का विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। दावा वादीगण का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा ढुकराई प0ह0 ढुकराई के आराजी संख्या 388, 729, 879, 880, 973मी0,1257, 1311, 1312मी0, 1419, 2307 कीता–10 कुल रकबा 4.7090 हैक्टर भूमि में वादीगण क्रमांक 1 से 3 तक का हिस्सा 1/4, वादी क्रमांक 4 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 से 3 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/10,, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/20 एवं प्रतिवादी सं0 6 का हिस्सा 1/4 हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड् अनुसार वर्णित कृषि आराजीयात बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार बेगूं को 2000/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में भिजवावें।

प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व /2025/888 दिनांक 10.10.2025 से फर्द वंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द वंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा ढुकराई हल्का ढुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री शंम्भूलाल, रूगनाथ,नन्दकिशोर पिता देवीलाल धाकड हि.ब. खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1072
729 मेसे	0.4570
879 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.3665
1311 मेसे	0.1180
1312 मेसे	0.0070
कीता– 06	1.2357 हैक्टर

2– श्री (मोडा पिता नारायण फौत के स्थान पर) रमेशचन्द्र,सीतादेवी पिता मोडा, धापू पति स्व. मोडा धाकड खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1073
729 मेसे	0.4570
879 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.3665
1311 मेसे	0.1180
1312 मेसे	0.0070
कीता– 06	1.2358 हैक्टर

3– श्री दिनेशकुमार, सुनिता पिता सुरेशकुमार, मोडीबाई पति स्व. सुरेशकुमार हि. 2/5, रामचन्द्र पिता सेवा 2/5, नानीबाई पति स्व. सेवा 1/5, धाकड सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1072
880 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.2855
1311 मेसे	0.1180
1312 मेसे	0.0070
कीता– 05	0.6977 हैक्टर

· श्री मति कमलाबाई पति स्व. बंशी धाकड सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1073
879 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.3665
2307 मेसे	0.5990
1312 मेसे	0.0070
कीता— 04	1.2357 हैक्टर

श्री शंम्भूलाल, रूगनाथ,नन्दकिशोर पिता देवीलाल 1/4, रमेशचन्द्र,सीतादेवी पिता मोडा, धापू पति स्व. मोडा 1/4, दिनेशकुमार, सुनिता पिता सुरेशकुमार, मोडीबाई पति स्व. सुरेशकुमार हि. 1/10, रामचन्द्र पिता सेवा 1/10, नानीबाई पति स्व. सेवा 1/10, कमलाबाई पति स्व. बंशी 1/4 धाकड सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
879 मेसे	0.0110	रास्ता
880 मेसे	0.0060	—
973 मेसे	0.0140	—
1257	0.0730	शामलाती
1311 मेसे	0.0100	रास्ता
1312 मेसे	0.0030	—
1419 मेसे	0.1700	शामलाती
कीता— 07	0.2870 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या ::— 13 / 2020

1 शंभूलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2 रूगनाथ पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
3 नन्दकिशोर पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
4 मोडा पिता नारायण धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1 दिनेश पिता सुरेशचन्द्र धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2 सुनिता पिता सुरेशचन्द्र धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
3 मोडीबाई पत्नी सुरेशचन्द्र धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
4 रामचन्द्र पिता सेवा धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
5 नानीबाई पिता सेवा धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ (आदेश दिनांक 7.10.224 से तर्क किया)
6 कमला पिता सेवा धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
7 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिकी वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री संजय शर्मा की उपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.10.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार प्राथमिक डिकी किया जाता है :—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा ठुकराई हल्का ठुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1— श्री शंम्भूलाल, रूगनाथ,नन्दकिशोर पिता देवीलाल धाकड हि.ब. खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1072
729 मेसे	0.4570
879 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.3665
1311 मेसे	0.1180
1312 मेसे	0.0070
कीता— 06	1.2357 हैक्टर

2— श्री (मोडा पिता नारायण फौत के स्थान पर) रमेशचन्द्र,सीतादेवी पिता मोडा, धापू पति स्व. मोडा धाकड खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1073
729 मेसे	0.4570
879 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.3665
1311 मेसे	0.1180
1312 मेसे	0.0070
कीता— 06	1.2358 हैक्टर

श्री दिनेशकुमार, सुनिता पिता सुरेशकुमार, मोडीबाई पति स्व. सुरेशकुमार हि. 2/5, रामचन्द्र ता सेवा 2/5, नानीबाई पति स्व. सेवा 1/5, धाकड सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1072
880 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.2855
1311 मेसे	0.1180
1312 मेसे	0.0070
कीता– 05	0.6977 हैक्टर

4– श्री मति कमलाबाई पति स्व. बंशी धाकड सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
388 मेसे	0.1073
879 मेसे	0.1800
973 मेसे	0.3665
2307 मेसे	0.5990
1312 मेसे	0.0070
कीता– 04	1.2357 हैक्टर

5– श्री शंम्भूलाल, रूगनाथ,नन्दकिशोर पिता देवीलाल 1/4, रमेशचन्द्र,सीतादेवी पिता मोडा, धापू पति स्व. मोडा 1/4, दिनेशकुमार, सुनिता पिता सुरेशकुमार, मोडीबाई पति स्व. सुरेशकुमार हि. 1/10, रामचन्द्र पिता सेवा 1/10, नानीबाई पति स्व. सेवा 1/10, कमलाबाई पति स्व. बंशी 1/4 धाकड सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
879 मेसे	0.0110	रास्ता
880 मेसे	0.0060	—
973 मेसे	0.0140	—
1257	0.0730	शामलाती
1311 मेसे	0.0100	रास्ता
1312 मेसे	0.0030	—
1419 मेसे	0.1700	शामलाती
कीता– 07	0.2870 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 863 दिनांक :– 29-10-25

दावा संख्या 13/2020 व अनवान शंभुलाल वगै. बनाम दिनेश वगै. वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है ।

नक्शा ट्रेस: सलग्न

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ